UPLK010153302024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र कुमार–III (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP05950

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–7808/2024

1. राकेश कुमार सिंह, पुत्र राम नरेश सिंह,
2. सरिता सिंह, पत्नी राकेश कुमार सिंह,

समस्त निवासीगण– 12 जी रानोपली, फैजाबाद, उ०प्र० 224123

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य **.....अभियोगी।**

मुकदमा अपराध संख्या– 246/2024
धारा–498ए, 313, 323, 504 भा.दं.सं.
एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना– अलीगंज, जनपद–लखनऊ।

25.10.2024.

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण राकेश कुमार सिंह व सरिता सिंह की ओर से उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रिया सिंह द्वारा दिनांक 16.09.2024 को समय 18:38 बजे थाना अलीगंज, लखनऊ में प्रतीक सिंह, डॉ० राकेश कुमार सिंह एवं सरिता सिंह के विरुद्ध वादिनी के विवाह उपरान्त कम दहेज लाने को लेकर ताना व गालियां देने, अतिरिक्त दहेज की मांग करने और मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, क्रूरता करने, मारपीट करने, विपक्षीगण द्वारा वादिनी का जबरन गर्भपात कराने आदि के सम्बन्ध में धारा– 498ए, 313, 323, 504, भा.दं.सं. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदकगण वादिनी के सास–ससुर हैं, वादिनी का विवाह प्रतीक सिंह के साथ दिनांक 09.12.2020 को बिना किसी दान–दहेज के सम्पन्न हुआ था, विवाह के बाद से ही वादिनी द्वारा अपने वैवाहिक जीवन में कोई सहयोग नहीं किया गया और वह अक्सर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। वर्ष 2022 में वादिनी गर्भवती हो गयी, जिस पर उसके पति द्वारा उसकी पूरी देखभाल की गयी और उसका चेकअप कराया गया। दिनांक 23.08.2022 को वादिनी के पेट में दर्द हुआ, जिसे डॉक्टर को दिखाने पर दिनांक 24.10.2022 को परीक्षण में पाया गया कि भ्रूण की मृत्यु हो गयी है, जिस पर डॉक्टर की सलाह पर ही वादिनी का इलाज कराया गया। वर्ष 2023 में वादिनी पुनः गर्भवती हुई, परन्तु दिनांक 09.05.2023 को परीक्षण में पाया गया कि भ्रूण की मृत्यु हो गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पता लगाने हेतु डॉक्टर द्वारा दिनांक 30.05.2023 को वादिनी का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वादिनी अपाला बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज वादिनी के पति द्वारा प्रारम्भ कराया गया। उक्त बीमारी के इलाज के दौरान वादिनी वर्ष 2024 में तीसरी बार गर्भवती हुई, परन्तु दिनांक 22.01.2024 को हुए परीक्षण में भ्रूण मृत पाया गया। बाद में वादिनी मुकदमा का व्यवहार अत्यन बुरा हो गया, जिस कारण आवेदकगण/अभियुक्तगण के पुत्र को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो गयी। वादिनी के पति द्वारा

पारिवारिक न्यायालय, अयोध्या में धारा–13 हिन्दू विवाह अधिनियम का वाद दाखिल किया गया, जिसकी नोटिस मिलने के बाद वादिनी द्वारा यह झूठी व मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, वे पूर्णतया निर्दोष हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे, वे अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है, वे अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे, अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए।

4. वादिनी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों से इंकार किया गया तथा उनके द्वारा वादिनी को दहेज हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व जबरन गर्भपात कराने का कथन किया गया और यह भी कथन किया गया कि वादिनी जमानत प्रार्थना पत्र में कथित बीमारी से ग्रसित नहीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क रखा गया कि मामले में विवेचना प्रचलित है, आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर अत्यन्त गम्भीर प्रकृित का अपराध आक्षेपित है, यदि उसके अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो उनके द्वारा विवेचना में सहयोग न करके उसे प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है, अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण के ऊपर यह आरोप है कि उनके द्वारा वादिनी मुकदमा से विवाह के उपरान्त वादिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी, उसे दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके गर्भवती होने पर जबरन उसका गर्भपात कराया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी गयी है, वादिनी द्वारा मात्र आवेदकगण/अभियुक्तगण को मात्र परेशान करने के उद्देश्य से मुकदमा दर्ज कराया गया है, वे निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया है कि मामले में वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए गाली गलौज व मारपीट की गयी है तथा जबरन उसका गर्भपात कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति के हैं।

अतः अपराध की गम्भीरता एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है, तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राकेश कुमार सिंह व सरिता सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–25.10.2024.

(नरेन्द्र कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,
लखनऊ।
आई०डी०–UP05950

Digitally signed by NARENDRA KUMAR
Date: 2024.10.26 11:46:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court